



2026:AHC:7952

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 224 वर्ष 2026

आदर्श यादव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

अरुण त्रिवेदी, राम सजीवन मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं, जिसमें प्रार्थना है कि (I) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को एक नए चिकित्सा समिति का गठन करने और याचिकाकर्ता की फिर से चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने का आदेश देता है; (II) ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करना जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझे; (III) नए सिरे से फाइल करने की स्वतंत्रता के साथ अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण लागत प्रदान करना।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. वर्तमान याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के रूप में खारिज किया जाता है।
4. आज दायर किए गए निर्देशों को अभिलेखित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।